भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **5635**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

राजसहायता की बकाया राशि

5635. श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2024 के अंत में एकल उर्वरक उद्योगों को देय राजसहायता संचित बकाया राशि कितनी है;
(ख) बकाया राशि के संचय के क्या कारण हैं;
(ग) उर्वरक उद्योगों के प्रदर्शन पर इसका समग्र प्रभाव क्या है; और
(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में उर्वरकों के लिए विभिन्न स्कीमों, अर्थात यूरिया का आयात, स्वदेशी यूरिया (एमडीए सहित), आयातित पीएंडके और स्वदेशी पीएंडके के तहत प्रदान की गई सब्सिडी 21,000 करोड़ रुपये, 1,03,335.5 करोड़ रुपये, 18,800 करोड़ रुपये और 34,010 करोड़ रुपये है। वर्ष 2024 के अंत में विभिन्न स्कीमों के अलग-अलग उर्वरक उद्योगों को देय सब्सिडी की संचित बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार था:

क्र.सं.	**उर्वरक उद्योग/स्कीम**	**31.12.2024 तक लंबित दावा (करोड़ रुपये में)**
1	यूरिया का आयात	443.13
2	स्वदेशी यूरिया	0
3	आयातित पीएंडके	2563.62
4	स्वदेशी पीएंडके	2794.20
	कुल	**5800.95**

(ख) और (ग): सरकार किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 'उर्वरकों में डीबीटी' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के जरिए लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। उर्वरक विभाग की विभिन्न सब्सिडी स्कीमों के अंतर्गत अलग-अलग उर्वरक कंपनियों को देय सब्सिडी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संवितरित की जाती है। सभी उर्वरक बिक्री लेन-देन वास्तविक समय आधार पर एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) में ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं। दावों पर साप्ताहिक आधार पर कार्रवाई की जाती है और सब्सिडी की राशि पीओएस मशीनों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। विभाग में प्राप्त विधिवत पूर्ण बिलों पर इनकी प्राप्ति के क्रम में बिलों के भुगतान पर "फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (एफआईएफओ)" सिद्धांत के आधार पर कार्रवाई की जाती है, जो एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों द्वारा किए गए दावों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुधार और संशोधन के लिए वापस भी भेजा जाता है जिसके परिणामस्वरूप लंबित दावों का संचय हुआ। विभाग बिलों के भुगतान के लिए केवल तभी जिम्मेदार है जब उर्वरक कंपनियों द्वारा सभी प्रकार से विधिवत रूप से पूर्ण बिल दावे किए जाते हैं न कि अपूर्ण दावों के लिए।

(घ): जब कभी निधियों की कमी पाई जाती है, विभाग तत्काल रूप से प्रक्रिया के अनुसार अनुपूरक अनुदानों अथवा संशोधित अनुमानों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास करता है।

****